

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2021—चैत्र 5, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2021

क्र. एफ-ए-3-10-2020-1-पांच (19).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-10-2020-1-पाँच (25), दिनांक 4 मई, 2020 को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रान्त करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो,—

- (क) भारत का नागरिक नहीं है; या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना; या
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी; या
- (घ) कानूनी निकाय; या
- (ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम; या
- (च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति.

2. यह अधिसूचना 23 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2021

क्र. एफ-ए-3-10-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-10-2020-1-पांच (19), दिनांक 26 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th March 2021

No. F-A-3-10-2020-1-V(19).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of Section 25 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council and in supersession of this department's notification No. F-A-3-10-2020-1-V (25), dated 4th May 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of Section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,—

- (a) Not a citizen of India; or
- (b) A Department or establishment of the Central Government or State Government; or
- (c) A local authority; or
- (d) A statutory body; or
- (e) A Public Sector Undertaking; or
- (f) A person applying for registration under the provisions of sub-section (9) of Section 25 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd day of February, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.